अनुदान संख्या 24 – इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
GRANT No. 24 - MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	6524,03,00	6524,06,00	5172,56,88	-1351,49,12
पूरक	Supplementary	3,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				1327,03,00
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	375,00,00	467,99,00	350,62,84	-117,36,16
पूरक	Supplementary	92,99,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				114,99,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय–आर्थिक सेवाएं	Secretariat-Economic Services				
मू.	O.	116903.00	117319.00	116919.35	-399.65
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	415.00			

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3454" जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी	Major Head "3454" Census Surveys and Statistics				
मू.	O.	98500.00	61300.00	61300.00	..
पु.	R.	-37200.00			
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	39580.00			
पू.	S.	1.00	656.10	..	-656.10
पु.	R.	-38924.90			
मुख्य शीर्ष "2852" उद्योग	Major Head "2852" Industries				
मू.	O.	397420.00			
पू.	S.	1.00	340427.90	339037.53	-1390.37
पु.	R.	-56993.10			

(I) ₹58034.00 लाख का प्रावधान (फरवरी, 2021 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) सोलह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इसमें से ₹58033.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:–

(का) मुख्य शीर्ष "2552" – "दूरसंचार तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग – इलेक्ट्रॉनिकी" –

(क) "जनशक्ति विकास कार्यक्रम" – ₹4280.00 लाख;

(ख) "इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस कार्यक्रम" – ₹4200.00 लाख;

(I) Provision of ₹58034.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in February, 2021) remained wholly unutilized under sixteen heads; of these ₹58033.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2552" - "Telecommunication and Electronic Industries-Electronics" -

(a) "Manpower Development Programme" - ₹4280.00 lakhs;

(b) "Electronic Governance Programme" - ₹4200.00 lakhs;

(ग) "राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क कार्यक्रम" – ₹4501.00 लाख; (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(c) "National Knowledge Network Programme" - ₹4501.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh);

(घ) "आईटी तथा आईटीईएस उद्योग संवर्धन" – ₹2000.00 लाख;

(d) "Promotion of IT and ITeS Industries" - ₹2000.00 lakhs;

(ङ) "सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिकी तथा सीसीबीटी में अनुसंधान और विकास" – ₹7800.00 लाख; और

(e) "R&D in Information Technology, Electronics and CCBT" - ₹7800.00 lakhs ; and

(च) "साइबर सुरक्षा परियोजनाएं (एनसीसीसी एवं अन्य)" – ₹1700.00 लाख।

(f) "Cyber Security Projects (NCCC & Others)" - ₹1700.00 lakhs.

उपर्युक्त छह शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने तथा शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above six heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(छ) "इलेक्ट्रॉनिकी तथा आईटी हार्डवेयर विनिर्माण (एमएसआईपीएस, ईडीएफ एवं विनिर्माण क्लस्टर)" – ₹9000.00 लाख – पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ के लिए स्कीमों पर उपयोग से संबंधित निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और कोविड–19 महामारी के कारण प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण।

(g) "Promotion of Electronics and IT Hardware Manufacturing (MSIPS, EDF & Manufacturing Clusters)" - ₹9000.00 lakhs - due to re-appropriation of funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and non-receipt of proposals owing to COVID-19 pandemic.

(ज) "प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजीटल साक्षरता अभियान" – ₹4100.00 लाख – कोविड–19 महामारी के कारण कम प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने के कारण।

(h) "Pradhan Mantri Gramin Digital Saksharta Abhiyan" - ₹4100.00 lakhs - due to conduction of less training programme owing to COVID-19 pandemic.

(झ) "डिजीटल भुगतान संवर्धन" – ₹2000.00 लाख – पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभार्थियों की पहचान में व्यवहार्यता नहीं होने के कारण।

(i) "Promotion of Digital Payments" - ₹2000.00 lakhs - due to non-feasibility in identifying beneficiaries from the North Eastern Region and Sikkim.

(खा) मुख्य शीर्ष "2852" – "दूरसंचार तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग" –

(B) Major Head "2852" - "Telecommunication and Electronic Industries"-

(क) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना" –

(i) "आईटी तथा आईटीईएस उद्योगों का संवर्धन" – ₹1000.00 लाख – प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण।

(ii) "इलेक्ट्रॉनिक तथा आईटी हार्डवेयर विनिर्माण (एमएसआईपीएस, ईडीएफ तथा विनिर्माण क्लस्टर) का संवर्धन" – ₹8056.00 लाख – कोविड–19 महामारी के कारण प्रस्ताव प्राप्त न होने तथा पहली दो तिमाहियों के दौरान व्यय पर प्रतिबंध लगाए जाने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण।

(iii) "साइबर सुरक्षा परियोजनाएं" – ₹996.00 लाख; और

(ख) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना" –

(i) "आईटी तथा आईटीईएस उद्योगों का संवर्धन" – ₹1000.00 लाख

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान कोविड–19 महामारी के कारण पहली दो तिमाहियों के दौरान व्यय पर प्रतिबंध लगे होने तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में कटौती किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(ii) "इलेक्ट्रॉनिकी तथा आईटी हार्डवेयर विनिर्माण संवर्धन (एमएसआईपीएस, ईडीएफ तथा विनिर्माण कलस्टर)" – ₹6600.00 लाख; और

(iii) "साइबर सुरक्षा परियोजनाएं" – ₹800.00 लाख।

(a) "Special Component Plan for Scheduled Castes"-

(i) "Promotion of IT and ITeS Industries" - ₹1000.00 lakhs - due to non-receipt of proposals.

(ii) "Promotion of Electronics and IT Hardware Manufacturing (MSIPS, EDF & Manufacturing Clusters)" - ₹8056.00 lakhs-due to non-receipt of proposals, restriction of expenditure during the first two quarters and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance owing to COVID-19 pandemic.

(iii) "Cyber Security Projects" - ₹996.00 lakhs; and

(b) "Tribal Area Sub-Plan" -

(i) "Promotion of IT and ITeS Industries" - ₹1000.00 lakhs.

Provision under the above two heads remained unutilized due to restriction of expenditure during the first two quarters and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance owing to COVID-19 pandemic.

(ii) "Promotion of Electronics and IT Hardware Manufacturing (MSIPS, EDF & Manufacturing Clusters)" - ₹6600.00 lakhs; and

(iii) "Cyber Security Projects" - ₹800.00 lakhs.

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान स्कीम के तहत प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण अप्रयुक्त रहे।

Provision under the above two heads remained unutilised due to non-receipt of proposals under the scheme.

(II) मुख्य शीर्ष "3451" – "सचिवालय – इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय" के अंतर्गत – ₹2313.65 लाख की बचत (₹11603.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण भर्ती प्रक्रिया में विलंब होने, पहली दो तिमाहियों में व्यय पर प्रतिबंध होने तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "3451" - "Secretariat - Ministry of Electronics and Information Technology"- saving of ₹2313.65 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11603.00 lakhs) was due to delay in recruitment process, restriction of expenditure during the first two quarters, reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance and non-receipt of bills owing to COVID-19 pandemic.

(III) मुख्य शीर्ष "3454" – "सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी – विशिष्ट पहचान स्कीम – भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई)" के अंतर्गत – ₹37200.00 लाख की बचत (₹98500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण भर्ती प्रक्रिया में विलंब होने, पहली दो तिमाहियों में व्यय पर प्रतिबंध होने तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(III) Under Major Head "3454" - "Surveys and Statistics - Unique Identification Scheme-Unique Identification Authority of India (UIDAI)" - saving of ₹37200.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹98500.00 lakhs) was due to restriction of expenditure during the first two quarters and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance owing to COVID-19 pandemic.

(IV) मुख्य शीर्ष "2852" – "दूरसंचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग" – के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:–

(IV) Under Major Head "2852" - "Telecommunication and Electronic Industries" - savings occurred under the following heads :-

(का) "डिजीटल इंडिया कार्यक्रम" –

(A) "Digital India Programme" -

(क) "जनशक्ति विकास कार्यक्रम" – ₹18720.00 लाख की बचत (₹31720.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण प्रत्यक्ष प्रशिक्षण और कक्षा में प्रशिक्षण कम संख्या में होने, पहली दो तिमाहियों के दौरान व्यय पर प्रतिबंध होने तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुई।

(a) "Manpower Development Programme"- saving of ₹18720.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹31720.00 lakhs) was due to less number of practical hands-on training and classroom training, restriction of expenditure during the first two quarters and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance owing to COVID-19 pandemic.

(ख) "इलेक्ट्रॉनिक और आईटी हार्डवेयर विनिर्माण संवर्धन (एमएसआईपीएस, ईडीएफ एवं विनिर्माण क्लस्टर" – ₹26483.45 लाख की बचत (फरवरी,

(b) "Promotion of Electronics and IT Hardware Manufacturing (MSIPS, EDF & Manufacturing Clusters)" - saving of

2021 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹68345.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कंपनियों द्वारा निवेश दावे प्रस्तुत न किए जाने और कोविड–19 महामारी के कारण एमएसआईपीएस के तहत प्रस्तावों की प्राप्ति में देरी के कारण हुई।

₹26483.45 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹68345.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in February, 2021) was due to non-submission of investment claims by companies and late receipt of proposals under MSIPS owing to COVID-19 pandemic.

(ग) "आईटी तथा आईटीईएस उद्योगों का संवर्धन" – ₹3144.81 लाख की बचत (₹13000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(c) "Promotion of IT and ITeS Industries" - saving of ₹3144.81 lakhs (against the sanctioned provision of ₹13000.00 lakhs);

(घ) "सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिकी तथा सीसीबीटी में अनुसंधान तथा विकास" – ₹14957.70 लाख की बचत (₹55599.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(d) "R&D in Information Technology, Electronics and CCBT" - saving of ₹14957.70 lakhs (against the sanctioned provision of ₹55599.00 lakhs);

(ङ) "साइबर सुरक्षा परियोजनाएं (एनसीसी एवं अन्य)"– ₹5504.73 लाख की बचत (₹13504.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(e) "Cyber Security Projects (NCCC & Others)" - saving of ₹5504.73 lakhs (against the sanctioned provision of ₹13504.00 lakhs);

(च) "प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजीटल साक्षरता अभियान"– ₹10881.00 लाख की बचत (₹29881.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(f) "Pradhan Mantri Gramin Digital Saksharta Abhiyan" - saving of ₹10881.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹29881.00 lakhs); and

(खा) "विनियमन और प्रमाणन" –

(B) "Regulation and Certification"-

(क) "साइबर सुरक्षा (सीईआरटी–इन एवं एनसीसीसी)" – ₹3000.25 लाख की बचत (₹6700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(a) "Cyber Security (CERT-In & NCCC)"- saving of ₹3000.25 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6700.00 lakhs).

उपर्युक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत बचतें कोविड–19 महामारी के कारण पहली दो तिमाहियों के दौरान व्यय पर प्रतिबंध होने तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

Savings under the above five heads were due to restriction of expenditure during the first two quarters and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance owing to COVID-19 pandemic.

(ख) "मानकीकरण, परीक्षण गुणवत्ता प्रमाणन (एसटीक्यूसी)" – ₹1986.67 लाख की बचत (₹11500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण कम दौरे किए जाने, महंगाई भत्ते का स्थिरीकरण किए जाने, पहली दो तिमाहियों में व्यय पर प्रतिबंध होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(b) "Standardisation, Testing Quality Certification (STQC)" - saving of ₹1986.67 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11500.00 lakhs) was due to less tours undertaken, freezing of dearness allowance, requirement of less funds towards STQC labs owing to COVID-19 pandemic, restriction of expenditure during the first two quarters and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(गा) "स्वायत्त तथा अन्य निकायों को सहायता" –

(C) "Assistance to Autonomous and Other Bodies" -

(क) "संबद्ध सूक्ष्म–तरंग अभियांत्रिकी तथा अनुसंधान संस्था (समीर)" – ₹1000.00 लाख की बचत (₹9800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण बड़ी परियोजनाओं को मूर्त रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(a) "Society for Applied Micro-wave Engineering and Research (SAMEER)" - saving of ₹1000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9800.00 lakhs) was due to non-materialisation of capital projects owing to COVID-19 pandemic.

(ख) "इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी सामग्री केन्द्र (सी–मेट)" – ₹1000.00 लाख की बचत (₹5000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण बड़ी परियोजनाओं को मूर्त रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(b) "Centre for Materials for Electronic Technology (C-MET)" - saving of ₹1000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5000.00 lakhs) was due to non-materialisation of capital projects owing to COVID-19 pandemic and requirement of less funds towards salaries.

(घा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना" –

(D) "Special Component Plan for Scheduled Castes" -

(क) "जनशक्ति विकास कार्यक्रम" – ₹1000.00 लाख की बचत (₹4000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण व्यवहार्य प्रत्यक्ष प्रशिक्षण, कक्षा में प्रशिक्षण कम संख्या में होने पहली दो तिमाहियों के दौरान व्यय पर प्रतिबंध होने के कारण हुई।

(a) "Manpower Development Programme" - saving of ₹1000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4000.00 lakhs) was due to less number of practical hands-on training, classroom training and restriction of expenditure during the first two quarters owing to COVID-19 pandemic.

(ख) "सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिकी तथा सीसबीटी में अनुसंधान तथा विकास" – (₹6350.25 लाख की बचत (₹7300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण पहली दो तिमाहियों के दौरान व्यय पर प्रतिबंध होने तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(b) "R&D in Information Technology, Electronics and CCBT" - saving of ₹6350.25 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7300.00 lakhs) was due to restriction of expenditure during the first two quarters and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance owing to COVID-19 pandemic.

(डा.) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना" –

(E) "Tribal Area Sub-Plan" -

(क) सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सीसीबीटी में अनुसंधान और विकास" – ₹5100.00 लाख की बचत (₹5600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्ताव प्राप्त न होने, प्रथम दो तिमाहियों के दौरान व्यय पर प्रतिबंध होने और कोविड–19 महामारी के कारण वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(a) "R&D in Information Technology, Electronics and CCBT" - saving of ₹5100.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5600.00 lakhs) was due to non-receipt of proposals, restriction of expenditure during the first two quarters and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance owing to COVID-19 pandemic.

(ख) "प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान" – ₹1519.00 लाख की बचत (₹2519.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम के संबंध में निधियों की कम आवश्यकता के कारण हुई।

(b) "Pradhan Mantri Gramin Digital Saksharta Abhiyan" - saving of ₹1519.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2519.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards digital literacy programme.

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹63432.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत फरवरी, 2021 में ₹3.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया थाः–

2. The above savings were partly (₹63432.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹3.00 lakhs in February, 2021 under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "3451" – "संबद्ध कार्यालय – राष्ट्रीय सूचना केन्द्र" के अंतर्गत – ₹2350.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹2329.00 लाख था।

(A) Major Head "3451" - "Attached Offices - National Informatics Centre (NIC)" - ₹2350.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹2329.00 lakhs.

(खा) मुख्य शीर्ष "2852" – "दूरसंचार तथ इलेक्ट्रानिक उद्योग" –

(B) Major Head "2852" - "Telecommunication and Electronic Industries"-

(क) "डिजीटल इंडिया कार्यक्रम" –

(a) " Digital India Programme" -

(i) "इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेस कार्यक्रम" – ₹1882.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹1798.96 लाख था)

(ii) "राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क कार्यक्रम" – ₹6200.00 लाख।

(iii) "डिजीटल भुगतान संवर्धन" – ₹32400.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹32347.98 लाख था।

(ख) "स्वायत्त तथा अन्य निकायों को सहायता – राष्ट्रीय भास्कराचार्य अंतरिक्ष अनुप्रयोग तथा भू सूचना संस्थान (बिसाग – एन)" – ₹2000.00 लाख।

(ग) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना" –

(i) "इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेस कार्यक्रम" – ₹400.00 लाख।

(ii) "राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क कार्यक्रम" – ₹7800.00 लाख।

(iii) "प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजीटल साक्षरता अभियान" – ₹1500.00 लाख।

(घ) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क कार्यक्रम" – ₹8900.00 लाख।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (₹11736.16 लाख) सितंबर, 2020 में प्राप्त किए गए ₹9299.00 लाख के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 25 प्रतिशत थीं।

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:–

(i) "Electronic Governance Programme" - ₹1882.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹1798.96 lakhs.

(ii) "National Knowledge Network Programme" - ₹6200.00 lakhs.

(iii) "Promotion of Digital Payments"- ₹32400.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹32347.98 lakhs.

(b) "Assistance to Autonomous and Other Bodies - Bhaskaracharya National Institute of Space Application and Geo Information (BISAG-N)" -₹2000.00 lakhs.

(c) "Special Component Plan for Scheduled Castes" -

(i) "Electronic Governance Programme"- ₹400.00 lakhs.

(ii) "National Knowledge Network Programme" - ₹7800.00 lakhs.

(iii) "Pradhan Mantri Gramin Digital Saksharta Abhiyan" - ₹1500.00 lakhs.

(d) "Tribal Area Sub-Plan-National Knowledge Network Programme" - ₹8900.00 lakhs.

3. In the capital section of the grant, the overall savings (₹11736.16 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹9299.00 lakhs obtained in September, 2020 and constituted 25 percent of the total sanctioned provision.

Savings occurred under the following major heads:-

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
			(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "4859"	Major Head "4859"				
दूरसंचार और इलेक्ट्रानिक उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Telecommunication and Electronic Industries				
मू.	O.	14300.00	12100.00	11874.26	-225.74
पु.	R.	-2200.00			
मुख्य शीर्ष "5475"	Major Head "5475"				
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Other General Economic Services				
मू.	O.	23200.00	23200.00	23188.58	-11.42
पू.	S.	9299.00			
पु.	R.	-9299.00			

(I) मुख्य शीर्ष "5475" – "मशीनरी तथा उपकरण – राष्ट्रीय सूचना केन्द्र" – के अंतर्गत ₹23200.00 के मूल प्रावधान को ₹9299.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹32499.00 कर दिया गया। तथापि, ₹9310.42 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) – कोविड–19 महामारी के कारण मशीनरी और उपकरणों की कम अधिप्राप्ति किए जाने, बड़े कार्यों के लिए कम निधियों की आवश्यकता, पहली दो तिमाहियों के दौरान वित्त मंत्रालय द्वारा व्यय पर प्रतिबंध होने तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(I) Under Major Head "5475" - "Machinery and Equipment - National Informatics Centre" - the original provision of ₹23200.00 lakhs was augmented to ₹32499.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹9299.00 lakhs. However, there was a saving of ₹9310.42 lakhs (including supplementary grant) - due to less procurement of machinery and equipment, requirement of less funds towards major works, restriction of expenditure during the first two quarters and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance owing to COVID-19 pandemic.

(II) मुख्य शीर्ष "4859" – "इलेक्टॉनिकी – अनुसंधान और विकास – एसटीक्यूसी तथा अन्य परियोजनाओं के लिए मशीनरी और उपकरण" – ₹2143.26 लाख की बचत (₹7800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण मशीनरी और उपकरणों की

(II) Under Major Head "4859" - "Electronics - Research and Development - Machinery and Equipment for STQC and other Projects" - saving of ₹2143.26 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7800.00 lakhs) was due to less procurement of

कम अधिप्राप्ति किए जाने, पहली दो तिमाहियों के दौरान व्यय पर प्रतिबंध होने तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹282.48 लाख की बचत हुई, जो स्वीकृत प्रावधान का 56 प्रतिशत थीं।

machinery and equipment, restriction of expenditure during the first two quarters and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance owing to COVID-19 pandemic.

(III) Under one head saving of ₹282.48 lakhs occurred constituting 56 percent of the sanctioned provision.